40 प्र.सु./08-27टि.8 -

8 ए०ओ०दृ०/08

संख्या: प्र०सु० 16/43-2-2008-15/2 (7)

SC-24

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश ।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 14 जुलाई 2008

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अर्न्तगत जन सूचना अधिकारियों हेतु मार्गदर्शिका।

महोदय,

जैसाकि आप अवगत हैं कि लोक प्राधिकरणों के नियंत्रणाधीन सूचनाओं तक नागरिकों की पहुँच सुनिश्चित करने तथा लोक प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने व सूचना के प्रवाह को व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार विषयक अधिनियम, 2005, दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 से पूरे देश में प्रभावी है।

2- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन में लोक प्राधिकरण (Public Authority) का जन सूचना अधिकारी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिनियम के द्वारा उसे सौंपे गये कार्यो के निर्वहन में हुई त्रुटियों के लिये उस पर शास्ति लगाई जा सकती है। अतः जन सूचना अधिकारी के लिये यह आवश्यक है कि वह अधिनियम का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और इसके प्रावधानों को भली भाँति समझे। भारत सरकार द्वारा जन सूचना अधिकारियों के कार्यो के सम्बन्ध में अधिनियम के कुछ महत्त्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट करने वाली एक मार्गदर्शिका तैयार की गई है। इसी आधार पर राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई मार्गदर्शिका की एक प्रति आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आप कृपया अपने विभाग एवं अपने विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में आने वाले निदेशालय/ अधीनस्थ कार्यालय/ सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों / संस्थाओं/ बोर्ड / आयोग आदि, के प्रत्येक लोक प्राधिकरणों में नामित जन सूचना अधिकारियों को मार्ग दर्शिका की एक-एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि यह मार्गदर्शिका उन्हें अपने कार्यो को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने में सहायक सिद्ध हो सके।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव।

25/7/08